

28/3/20

वकील पार्थी उपस्थित। पत्रावली का आवेदन  
किमान पार्थी ने यह मुन्तखिली पार्थी पत्र  
श्री विनोद कुमार मीना ACEM नदवरी के विरुद्ध  
पहुंचा दिया है। शी तत्कालीन पीठासीन अधी  
श्री विनोद कुमार मीना का अन्याय स्थानान्तरण  
हो चुका है। ऐसी स्थिति में पार्थी का यह मुन्तखिल  
पार्थी पत्र प्रभावहीन (Infructuous) हो  
जाने के कारण इसी stage पर खारिज किया  
जाता है। पत्रावली केवल शुद्ध लेख बाह  
तकमील वाद हो।

  
जिला कलेक्टर  
भगतपुर (राज.)